राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

सी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम, जयपुर 302005

दूरभाष नं0 0141–2226722, वेबसाईट www.cmar-india.org ई–मेल dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ 2(घ)(निल.)आरएमएस–जांच/डीएलबी/18/996 दिनांक : 11/04/18

आदेश

पुलिस अधीक्षक–प्रथम, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के पत्र क्रमांक भ्रनिब/अशा/3/2018/537–539 दिनांक 26.03.18 के अनुसार, श्री सन्दीप कुमार बिश्नोई, लेखाकार एवं कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, संगरिया जिला हनुमानगढ द्वारा परिवादी श्री जैन प्रकाश निवासी वार्ड नं. 37, चक ज्वालासिंहवाला रोड, हनुमानगढ जंक्शन से अपने अधीनस्थ श्री विनोद कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नगर पालिका, संगरिया के मार्फत रू. 50,000/–(अक्षरे पचास हजार रूपये) की मांग कर उक्त राशि प्राप्त करने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ द्वारा दिनांक 23.03.18 को दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा कर न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है। ब्यूरो द्वारा इनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 72/2018 पंजीबद्ध की गयी है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि दोनों आरोपीगण श्री सन्दीप कुमार बिश्नोई एवं श्री विनोद कुमार 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं, अतः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर द्वारा इनके निलम्बन किये जाने के साथ साथ इनका मुख्यालय परिवर्तन किये जाने हेतु की गयी अनुशंषा दिनांक 26.03.18 को दृष्टिगत रखते हुए, कार्मिक(क–3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2 (157)कार्मिक/क–3/97 जयपुर, दिनांक 07 जुलाई, 2010 में दिये गये निर्देशों एवं राजस्थान सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सन्दीप कुमार बिश्नोई, लेखाकार एवं कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी, एवं श्री विनोद कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नगर पालिका, संगरिया जिला हनुमानगढ को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में लेने की दिनांक 23.03.18 से ही एतद् द्वारा निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में इन दोनों का मुख्यालय निदेशालय में रहेगा तथा इन दोनों को ही नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर पालिका, संगरिया से किया जावेगा।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ 2(घ)(निल.)आरएमएस–जांच/डीएलबी/18/997-1010 दिनांक : 11/04/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़।
4. पुलिस अधीक्षक–प्रथम, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्रनिब/अशा/3/2018/537–39 दिनांक 26.03.18 के क्रम में प्रेषित है।
5. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
6. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल, संगरिया।
7. श्री सन्दीपकुमार बिश्नोई, लेखाकार एवं कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी, मार्फत अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, संगरिया।
8. श्री विनोद कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मार्फत अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, संगरिया।
9. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
10. उप निदेशक–आईटी, निदेशालय को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
11. संस्थापन अनुभाग–आरएमएस/एसएमई, निदेशालय ।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त निदेशक